भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2246

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज

2246. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अवगत है कि नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कॉर्पोरेट बीमा पॉलिसियों को छोड़कर, निजी बीमा कंपनियां अथवा केंद्र/राज्य सरकारों की स्वास्थ्य योजनाएं जन्म के प्रथम दिन से नवजात शिशुओं के लिए व्यापक चिकित्सा कबरेज प्रदान नहीं करती हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश निजी बीमा कंपनियां नवजात शिशुओं के लिए चिकित्सा कबरेज केवल विशेष राइडरों के अंतर्गत अथवा लंबी प्रतीक्षा अवधि और अपर्याप्त उप-सीमाओं के साथ प्रदान करती हैं, जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ पड़ता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयुष्मान भारत अथवा किसी राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत जन्म से ही नवजात शिशुओं के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कबरेज अनिवार्य करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है, यदि नहीं, तो देश में परिवारों की औसत आय और नबजात शिशुओं की स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत के बीच बढ़ती असमानता का समाधान करने में विफल रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार, नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करते हैं। कुछ उत्पाद उप-सीमाओं और/या प्रतीक्षा अवधियों के साथ इस प्रकार का कवरेज प्रदान करते हैं, जबकि अन्य बिना किसी उप-सीमा या प्रतीक्षा अवधि के जन्म के पहले दिन से ही कवरेज प्रदान करते हैं। प्रीमियम कवरेज की सीमा और प्रदान किए गए लाभों के आधार पर अलग-अलग होता है। तदनुसार, पॉलिसीधारक अपनी कवरेज आवश्यकताओं और वहनीयता के आधार पर उत्पाद का चयन कर सकते हैं।

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 1,961 उपचार प्रक्रियाओं के लिए कवरेज प्रदान करती है। नवजात परिचर्या के लिए विशेषज्ञता सहित जिसमें 13 प्रक्रियाएं हैं जो बुनियादी, गहन और अत्याधुनिक नवजात परिचर्या आदि को कवर करती हैं। इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, नवजात शिशुओं को जन्म के दिन से ही लाभार्थी परिवार के सदस्य के रूप में योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
